cloth. Out of outstanding dues of Rs. 193.20 lakhs, for the period ending 30-6-85, the dues on account of controlled cloth were Rs. 16.67 lakhs. The outstanding dues have not been treated as loss, since the amount is to be recovered by the NCCF.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी के मामले

126. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश में मूर्तियों की चोरी 1986 और 1987 में 65 और 66 से बढ़कर 1988 में 101 और अक्तूबर, 1989 तक 93 हो गई है।

(ग) भारत सरकार ने पुरावशेषों की उपयुक्त सुरक्षा तथा इनकी चोरी और तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को लागू करना जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबन्ध करता है :—

(1) पंजीकरण अधिकारियों के पास कुछ किस्मों के पुरावशेषों (सभी प्रकार की मूर्तियों, कलाचित्र और सुसज्जित एवं सचित्र पाण्डुलिपियां) का आवश्यक पंजीकरण ;

(2) ऐसे पंजीकृत पुरावशेषों के संचालन के बारे में पंजीकरण अधिकारियों को सूचना देना ;

(3) पुरावशेषों के व्यापार को अनुज्ञप्ति शुदा व्यापारियों तक सीमित करना ;

(4) पुरावशेष के निर्यात को प्रतिबंधित करना।

2. पहरा और निगरानी प्रबन्धों को सुदृढ़ करने और कुछ मंडल मुख्यालयों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन महत्वपूर्ण केन्द्रों द्वारा संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में से कुछ पर सशस्त्र प्रहरी नियुक्त किए गए हैं। अबद्ध मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति शेडों और स्थलों पर ही पुरावशेषों को प्रदर्शित करने के लिए नए स्थल संग्रहालयों का निर्माण किया गया है।

3. सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों के अवैध आयात-निर्यात और स्वामित्वान्तरण को रोकने के तरीकों पर यूनेस्को समझौते की वर्ष 1977 में भारत ने अभिपुष्टि की है। यह समझौता अन्य बातों के साथ-साथ इसका भी उपबन्ध करता है कि संविदाकार पक्षकार संबंधित देशों को चुराई गई सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों को अपनी सीमा में अवैध आयात को रोकने के लिये कदम उठाएंगे। समझौते के अधीन संविदाकार पक्षकारों के अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद के होंगे न कि इससे पहले के।

4. पुरावशेषों की चोरी और गुम होने के मामलों की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक पुरावस्तु सैल खोला गया है।

5. अबद्ध मूर्तियों, कलाचित्रों, सचित्र पांडुलिपियों इत्यादि के प्रलेखन हेतु पहले ही कदम उठाये जा रहे हैं।

6. पुरावशेषों की पहचान करके उनका अवैध निर्यात रोकने में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के प्रमुख अन्तर-राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर

अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात के लिए रखी वस्तुओं की जांच के लिए भारत के प्रमुख शहरों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियां गठित की गई हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के तहत वस्तुओं में से कोई एक पुराशेष है।

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन

127. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की 1979 में प्रो० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और इसने अप्रैल, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समवर्ती मूल्यांकन 1978-85 के दौरान 7 सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों द्वारा भी आयोजित किया गया और 56 मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। शीघ्र ही 14 सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान संस्थानें और अन्य एजेंसियां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का सघन मूल्यांकन पूरा करने में लगी हुई हैं। उनमें से दो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की आवृत्ति और उसकी कोटि सुधारने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। इनमें ये शामिल हैं :--

- शिक्षुओं के साथ-साथ अध्यापकों की प्रेरणा में वृद्धि।
- अध्ययन की गति, विषयवस्तु और कोटि में सुधार करना।
- सामग्रियों के एक नये पैकेज का डिजाइन बनाना जो प्रारम्भ से ही स्व-निर्देशित, अध्ययन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगी।
- समय पर मानक अध्यापन अध्ययन सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- अध्यापन अध्ययन वातावरण और कारगर व्यवस्था सूचना पद्धति में सुधार के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान की उपलब्धियों को काम में लाना।
- कार्यक्रम के गठन और क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- साक्षरता के लिए जन आन्दोलन प्रारम्भ करना जिसमें स्वैच्छिक एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, अध्यापकों छात्र, युवकों, भूतपूर्व सैनिकों कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, बैंकों, सहयोगियो इत्यादि को शामिल करना है।
- उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा शुरू करना।

मध्य प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय

128. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू और आगामी शिक्षा सत्र में मध्य प्रदेश में नये केन्द्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय प्रारंभ किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में क्या मौलिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) चालू सत्र, 1989-90 के